



दूरभाष सं० :06252-242700 [O]
06252-242800 [R] 242900 [F]
E-mail : dm-motihari.bih@nic.in

समाहरणालय,पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी
(जिला विधि प्रशाखा)

संशोधित अभियोजन स्वीकृत्यादेशः

आर्थिक अपराध थाना काण्ड सं०:-09/2012 दिनांक 27.07.2012 में इस कार्यालय के ज्ञापांक 305 दिनांक 06.09.2019 से निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक-सह अनुसंधानकर्ता आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के पत्र दिनांक 20.11.2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अभियोजन स्वीकृत्यादेश में संशोधित धारा-13(1)(a) का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतएव इस कार्यालय से निर्गत अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 305 दिनांक 06.09.2019 में अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति हेतु उल्लेखित धारा-403/406/409/420/465/468/471/120(बी) भा०द०वि० एवं धारा 13(1)(डी)-सह पठित धारा-13(2) अ०नि०अधि०-1988 के स्थान पर धारा 403/406/409/420/465/468/471/120(बी) भा०द०वि० एवं धारा 13(1)(डी) संशोधित धारा 13(1)(a) सह पठित धारा 13(2) अ०नि०अधि०-1988 पढ़ा जाय।

मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय के मुहर के साथ जारी किया जाता है।

इ. -

(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक: - /विधि, दिनांक:

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई बिहार, पटना को उनके पत्रांक 742 दिनांक 05.02.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

इ. -

(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञापांक: 391 /विधि, दिनांक: 21/11/19

प्रतिलिपि: श्रीमती भावना वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक-सह अनुसंधानकर्ता, आर्थिक अपराध इकाई बिहार, पटना को पत्र दिनांक 20.11.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, पूर्वी चम्पारण को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(रमण कुमार)
जिला दण्डाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
21.11.19